कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, उसके द्वारा वर्तमान मंत्रिमंडल के मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के विरूद्व ऐसा कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न (क) और (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर दिया जाना

385. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं संसद-सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने की कार्यवाही में किए गए प्रावधानों में दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य सरकार के कर्मचारियों को उक्त प्रावधानों में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही हैं, ताकि संसद-सदस्यों के पत्रों का शीघ्र उत्तर दिया जा सके?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का तत्काल उत्तर देने के बारे में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्वति नियम-पुस्तिक में निर्धारित दिशा-निर्देश राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं। परन्तु, सामान्यत: राज्य सरकारें इस संबंध में अपने दिश-निर्देश निर्धारित करती हैं।

(ग) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री ने दिनांक 26.12.97 को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से इस संबंध में संसद सदस्यों की चिन्ता को दोहराते हुए अनुरोध किया था कि वे अपनी-अपनी सरकारों के दिशा/निर्देश/अनुदेश जारी करें कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने के संबंध में वे केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्वति नियम-पुस्तिका में निर्दिष्ट अनुदेशों के आधार पर समुचित कार्य पद्वति का अनुपालन करें।

भ्रष्टाचार के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु विशेष अदालतें

386. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार तथा वित्तीय घोटालों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु देश में विशेष अदालतें स्थापित करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भ्रष्टाचार के मामलों के निपटान हेतु विशेष अदालतें स्थापित करते समय उच्चतम न्यायालय की राय पर विचार किया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामलें में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम,1998 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें, दोनों ही उपर्युक्त अधिनियम में विर्निदिष्ट अपराधों की सुनवाई के लिए, विशेष न्यायाधीश को नियुक्त कर सकती हैं। दंड-प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुसार, राज्य सरकारें विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती हैं। देश भर में भ्रष्टाचार विरोधी मामलों के शीघ्र निबटाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए तथा राज्य-सरकारों द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने का सुझाव देते हुए प्रधान मंत्री ने जून, 1997 में सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा था।

(घ) चूंकि विशेष न्यायालय राज्य-सरकारों द्वारा गठित किए जाने हैं, अत: इस बारे में कोई समय-सीमा नहीं दर्शाई जा सकती।

मंत्रालयों/विभागों की संख्या में कमी

387. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विभागों का विलय करके केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों की संख्या में कमी करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो विलय किए गए मंत्रालयों और विभागों का ब्यौरा क्या है;

((ग) क्या कुछ विभागों को राज्य सरकारों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) इस संबंध में अंतिम कार्रवाई कब तक की जाएगी तथा कितने संबंधित कर्मचारियों को राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ड.) सरकार के काम-काज को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सरकार के कार्य-आवंटन नियम बनाये गए हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में किया जाने वाला कार्य भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियमावली, 1961 मे निर्दिष्ट किया गया हैं। प्रत्येक विभाग एक मंत्री के प्रभार के अधीन होता हैं और विभाग को, कार्य आवंटन नियमावली के अधीन आवंटित किये गये कार्य का निपटान विभाग के प्रभारी मंत्री के सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अंतर्गत किया जाता हैं। इस प्रकार किसी भी निश्चित समय पर मंत्रालयों/विभागों की संख्या सरकार की प्रशासानिक सुविधा पर आधारित होती हैं।

Production of crude oil

389. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a serious shortfall in the production of crude in the North-East, of late;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the shortfall will adversely affect the availability of crude to Numaligarh Refinery; and

(d) if so, the measures contemplated to ensure supply and if not, how?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): (a) No, Sir.

(b) and (c) Elections of Delegates/ Board of Directors of the Soceity (Kendriya Bhandar) could not be held due to the fact that bye laws of Society, which were revised w.e.f. 10.4.1987, were challenged by some elected delegates/ Directors in Delhi High Court in 1987. The writ petition is still pending in Delhi High Court for final disposal. Registrar of Cooperative Societies, Delhi under whose supervision the elections are to be conducted had advised in the past to maintain the status quo and to held elections after the final judgement of the Delhi High Court. However, the registrar of Cooperative Societies, Delhi has now appointed Election Officer for conducting the elections who has set the election process in motion.

Election in the Kendriya Bhandar

388. SHRI O.P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 463 given in the Rajya Sabha on 18th July, 1996 and state:

(a) whether the election of the delegates and Board of Directors have been held in the Kendriya Bhandar;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) by which date these elections will be held and finalised?